

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक:एफ 13(1)खा.वि./आवंटन/2026-00822

जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षर दिनांक

गेहूं आवंटन आदेश माह मई एवं जून, 2026
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश संख्या 7-1/2019-बीपी-III पार्टV (e-376706) दिनांक 16.10.2023 एवं आदेश संख्या 15-33/2012-NFSA-पार्ट दिनांक 23.11.2023 के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल तथा PHH अन्य श्रेणी के राशनकार्डधारी लाभार्थियों को निःशुल्क पात्रतानुसार **माह मई एवं जून, 2026** हेतु गेहूं का जिलेवार उप-आवंटन संलग्न क्रमशः **परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2** के अनुसार किया जाता है। उचित मूल्य दुकानवार उप-आवंटन खाद्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित है। उक्त आवंटन के उचित मूल्य दुकानवार उठाव के दौरान निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

- 1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों/परिवारों को खाद्यान्न (गेहूं) उपलब्ध कराना अनिवार्य है। गेहूं का मासिक आवंटन दो श्रेणियों में निम्नानुसार किया जा रहा है :-

गेहूं आवंटन की श्रेणियां (Categories)		
श्रेणी	शीर्षक	दर
प्रथम	AAY, BPL & SBPL	निःशुल्क
द्वितीय	PHH (Others)	निःशुल्क

- 2- खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत "अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल व PHH अन्य श्रेणी" के पात्र परिवारों/लाभार्थियों की विभागीय पोर्टल पर दिनांक **15.03.2026** की अद्यतन संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन, ऑफलाईन वितरण वाली दुकानों को समिलित करते हुए, एतद्वारा जिलेवार उचित मूल्य दुकानवार किया जाता है।
- 3- **माह मई एवं जून, 2026** हेतु आवंटित गेहूं का उठाव तत्काल प्रारम्भ किया जावे तथा दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक शत-प्रतिशत उठाव किया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावे। खाद्यान्न उठाव की अवधि नहीं बढ़ायी जावेगी तथा कम उठाव किये जाने के कारण लाभार्थियों के गेहूं प्राप्ति से वंचित रहने पर संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 4- **माह मई एवं जून, 2026** हेतु आवंटित गेहूं का वितरण **माह अप्रैल, 2026** हेतु आवंटित गेहूं के साथ-साथ किया जावेगा। अतः उक्त आवंटित गेहूं का प्राथमिकता से तत्काल उठाव किया जाकर **माह मई एवं जून, 2026** हेतु आवंटित गेहूं का वितरण **माह अप्रैल, 2026** में कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 5- खाद्य विभाग (मुख्यालय) से जारी जिलेवार एवं प्रत्येक उचित मूल्य दुकानवार गेहूं के आवंटन आदेश के अनुरूप श्रेणीवार गेहूं के उठाव का रिलीज आर्डर (RO) जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। जिला रसद अधिकारियों द्वारा अपने स्तर पर उप आवंटन नहीं किया जावेगा
- 6- आवंटित गेहूं के जिला स्तर पर भारतीय खाद्य निगम से निर्धारित समयावधि में शत-प्रतिशत मात्रा के उठाव एवं उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति की जिम्मेदारी संबंधित जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति की होगी। वह उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति किये गये गेहूं का तौल कराकर आपूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।



- 7- उचित मूल्य दुकान को आवंटित खाद्यान्न (गेहूँ) मात्रा राशन डीलर की पोस मशीन पर प्रदर्शित होगी जिसे राशन डीलर द्वारा रिसीव करने पर आवंटित खाद्यान्न (गेहूँ) मात्रा "सेन्ड टू पोस" हो जायेगी। जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति आवंटित गेहूँ की सम्पूर्ण मात्रा को पॉस मशीन में रिसीव कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। विसंगति की स्थिति में संबंधित जिला रसद अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 8- खाद्य विभाग के पोर्टल पर भी गेहूँ के आवंटन, उठाव एवं वितरण हेतु श्रेणीवार प्रविष्टियां संधारित की जाएगी।
- 9- गेहूँ वितरण की ग्राहकपर्ची (Beneficiary Receipt) पोस मशीन से ब्लूटूथ के जरिये जुड़े वेईंग-स्केल पर गेहूँ का वास्तविक वजन देखने के बाद उसके माध्यम से जारी की जाएगी तथा प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी।
- 10- सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानवार राशनकार्डों की संख्या के आधार पर गेहूँ का आवंटन किया जा रहा है। अतः आवंटन के अनुरूप उठाव सुनिश्चित किया जाना जिला रसद अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।
- 11- ऑफलाईन वितरित किये गये गेहूँ की आगामी माह की 15 तारीख तक पॉस मशीन/पोर्टल पर इन्द्राज एन्ट्री कराया जाना सुनिश्चित करें। विसंगति की स्थिति में संबंधित जिला रसद अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 12- माह मई एवं जून, 2026 के आवंटन में एससीएम पोर्टल पर अंकितानुसार उचित मूल्य दुकानों के पास उपलब्ध अधिकतम समायोजन योग्य प्रारम्भिक अवशेष स्टॉक का समायोजन किया गया है। यहां यह भी सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी निष्क्रिय पोस मशीन हेतु आर.ओ.जारी न हो पावे।
- 12- "वन नेशन वन राशनकार्ड" के तहत अन्य राज्यों के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उचित मूल्य दुकानवार गत तीन माह में वितरित की गयी अधिकतम मात्रा का अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है।
- 13- माह मई एवं जून, 2026 के पेटे आवंटित खाद्यान्न के आवंटन/उठाव/वितरण हेतु विभाग द्वारा दिनांक 12.02.2019 को जारी की गई गाईडलाईन की समुचित पालना सुनिश्चित की जावे।
- विभाग द्वारा गेहूँ उठाव बाबत जारी आदेश दिनांक 30.10.2024 एवं पत्र दिनांक 11.11.2024 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार आवंटित खाद्यान्न (गेहूँ) का उठाव उसके पूर्व माह में प्रत्येक दिन समानुपातिक रूप से करते हुए अंतिम तिथि तक शत-प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित करें। भारत सरकार द्वारा वैधता अवधि का विस्तार नहीं किये जाने बाबत निर्देश प्रदान किये गये हैं।

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

नोट:-माह मई एवं जून, 2026 हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत खाद्यान्न का 41 जिलों के आधार पर किया जा रहा है। आवंटित खाद्यान्न का उठाव एवं उचित मूल्य दुकान पर आपूर्ति वर्तमान टेण्डर अवधि समाप्ति तक पूर्वानुसार परिवहनकर्ता के माध्यम से की जावेगी।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(सुनील पूनिया)
उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि ऑफलाईन उचित मूल्य दुकानों पर वितरण के इन्द्राज हेतु ऑप्शन स्थायी रूप से खोलने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करें।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, उपायुक्त (प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग, राज.जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
8. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य और आपूर्ति निगम लि., जयपुर।
9. महाप्रबंधक (क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, नेहरू पेलेस, टोंक रोड, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न (गेहूँ) के रिलीज आर्डर स्थानीय/निकटतम एफ.सी.आई. गोदामों से जारी करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें।
10. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य विभाग, राज.जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उचित मूल्य दुकानवार चालान काटे जाने की प्रक्रिया पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के पश्चात् बन्द कराया जाना सुनिश्चित करें।
11. समस्त जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, खाद्य आपूर्ति निगम, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि नियमित रूप से माह के प्रत्येक दिन पर्याप्त संख्या में ट्रकों की उपलब्धता करवाते हुए, उक्त योजना में समानुपातिक रूप से भारतीय खाद्य निगम के कार्य दिवसों में निर्धारित वैधता अवधि के दौरान आवंटित गेहूँ का शत-प्रतिशत उठाव कराया जाकर एवं वितरण सुनिश्चित करावें। भारतसरकार के निर्देशानुसार वैधता अवधि का विस्तार नहीं किया जावेगा। उचित मूल्य दुकानवार चालान काटे जाने की प्रक्रिया पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के पश्चात् बन्द करदी जावेगी। अतः निर्धारित वैधता अवधि में शत-प्रतिशत मात्रा का उठाव कर उचित मूल्य दुकानवार चालान काटा जाना सुनिश्चित करें। जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, खाद्य आपूर्ति निगम आवंटित गेहूँ की उचित मूल्य दुकानों पर तौल कराकर आपूर्ति कराया जाना तथा आपूर्ति की गई सम्पूर्ण मात्रा को पॉस मशीन में रिसेव कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। विसंगति की स्थिति में संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
12. ए.सी.पी.(खाद्य) को प्रेषित कर लेख है कि सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से समन्वय स्थापित कर ऑफलाईन उचित मूल्य दुकानों द्वारा किये गये वितरण का पोर्टल पर इन्द्राज कराने हेतु ऑप्शन स्थायी रूप से खुलवाने की कार्यवाही करें।
13. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश सभी संबंधित से ईमेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।

उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

NFSA Regular Wheat Allotment May-2026 (in M.T)

Sr. No.	District	Category wise Net allotment				Final Allotment
		Net NFSA AAY Allotment	Net NFSA BPL Allotment	Net NFSA SBPL Allotment	Net NFSA APL Allotment	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Ajmer	359.529	563.723	229.146	4462.152	5614.550
2	Alwar	355.862	860.008	253.207	4853.323	6322.400
3	Balotra	296.258	881.763	112.426	2644.703	3935.150
4	Banswara	1376.105	1953.762	578.847	3152.536	7061.250
5	Baran	1485.810	710.160	150.348	2672.932	5019.250
6	Barmer	446.260	1146.325	192.549	4042.616	5827.750
7	Beawar	395.626	627.531	198.241	2662.052	3883.450
8	Bharatpur	261.256	773.925	184.591	3495.678	4715.450
9	Bhilwara	759.285	1265.947	416.465	4461.253	6902.950
10	Bikaner	358.250	1694.250	365.144	3583.956	6001.600
11	Bundi	392.408	622.704	176.080	2728.858	3920.050
12	Chittaurgarh	823.907	760.235	489.704	2471.354	4545.200
13	Churu	685.597	1635.505	337.954	3924.294	6583.350
14	Dausa	311.439	966.086	148.563	3960.162	5386.250
15	Deeg	203.370	528.878	128.484	2852.468	3713.200
16	Dhaulpur	273.538	597.758	125.300	3207.604	4204.200
17	Didwana-Kuchaman	236.532	631.495	131.856	4685.567	5685.450
18	Dungarpur	1011.435	2149.782	292.555	2373.878	5827.650
19	Ganganagar	349.576	1136.470	124.542	3976.412	5587.000
20	Hanumangarh	420.166	876.868	149.127	3247.139	4693.300
21	Jaipur	289.212	1042.205	318.813	9422.120	11072.350
22	Jaisalmer	189.717	365.209	88.622	1375.152	2018.700
23	Jalor	654.489	1239.690	268.144	3460.577	5622.900
24	Jhalawar	546.580	1031.010	248.083	3521.227	5346.900
25	Jhunjhunun	278.869	469.627	179.462	5114.192	6042.150
26	Jodhpur	177.528	1017.748	112.388	6147.536	7455.200
27	Karauli	491.060	1241.421	219.752	2731.667	4683.900
28	Khairthal-Tijara	152.608	208.385	106.444	2440.463	2907.900
29	Kota	289.963	934.355	140.168	3310.564	4675.050
30	Kotputli-Behror	173.223	452.200	178.692	3274.085	4078.200
31	Nagaur	276.621	571.993	185.861	4466.475	5500.950
32	Pali	389.041	851.331	203.337	3435.291	4879.000
33	Phalodi	93.366	456.469	50.511	1751.504	2351.850
34	Pratapgarh	446.234	896.716	213.524	1785.476	3341.950
35	Rajsamand	560.726	754.307	210.875	2326.242	3852.150
36	Salumbar	389.621	869.197	185.675	901.307	2345.800
37	Sawai Madhopur	480.597	726.202	244.580	3085.171	4536.550
38	Sikar	257.654	725.691	158.578	7063.527	8205.450
39	Sirohi	304.339	479.330	156.831	2366.200	3306.700
40	Tonk	504.199	803.078	307.482	3439.791	5054.550
41	Udaipur	1198.811	2230.542	460.723	3889.574	7779.650
	Total	18946.667	37749.881	9023.674	144767.078	210487.300

NFSA Regular Wheat Allotment June-2026 (in M.T.)

Sr. No.	District	Category wise Net allotment				Final Allotment
		Net NFSA AAY Allotment	Net NFSA BPL Allotment	Net NFSA SBPL Allotment	Net NFSA APL Allotment	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Ajmer	400.561	602.776	255.570	4874.593	6133.500
2	Alwar	387.066	929.161	275.806	5250.867	6842.900
3	Balotra	319.357	949.986	122.646	2868.561	4260.550
4	Banswara	1488.250	2125.117	625.790	3407.593	7646.750
5	Baran	1584.629	746.372	161.307	2830.542	5322.850
6	Barmer	480.135	1239.794	209.594	4393.977	6323.500
7	Beawar	441.840	696.427	219.750	2925.783	4283.800
8	Bharatpur	269.430	799.489	191.485	3621.796	4882.200
9	Bhilwara	817.350	1365.885	449.963	4772.652	7405.850
10	Bikaner	374.633	1770.370	382.065	3715.482	6242.550
11	Bundi	415.062	654.089	185.912	2874.137	4129.200
12	Chittaurgarh	913.974	846.087	541.465	2720.024	5021.550
13	Churu	748.976	1777.854	369.813	4249.857	7146.500
14	Dausa	330.827	1031.830	157.435	4192.608	5712.700
15	Deeg	213.665	556.151	135.157	3023.327	3928.300
16	Dhaulpur	293.127	636.737	134.569	3415.167	4479.600
17	Didwana-Kuchaman	258.307	683.353	144.633	5069.457	6155.750
18	Dungarpur	1086.962	2324.452	314.594	2558.342	6284.350
19	Ganganagar	372.399	1200.735	133.170	4215.046	5921.350
20	Hanumangarh	446.860	931.086	158.336	3439.018	4975.300
21	Jaipur	347.904	1228.936	381.442	10948.118	12906.400
22	Jaisalmer	208.469	406.813	97.552	1513.566	2226.400
23	Jalor	723.270	1382.323	297.187	3811.670	6214.450
24	Jhalawar	581.690	1100.949	265.332	3754.479	5702.450
25	Jhunjhunun	301.175	501.367	195.214	5496.144	6493.900
26	Jodhpur	194.391	1109.035	124.349	6761.175	8188.950
27	Karauli	535.756	1359.871	240.582	2995.591	5131.800
28	Khairthal-Tijara	163.584	222.841	114.796	2623.679	3124.900
29	Kota	307.858	969.267	149.277	3452.248	4878.650
30	Kotputli-Behror	185.291	481.245	191.081	3491.383	4349.000
31	Nagaur	304.904	628.865	204.660	4932.021	6070.450
32	Pali	433.930	952.459	226.874	3775.137	5388.400
33	Phalodi	101.845	505.481	55.917	1940.707	2603.950
34	Pratapgarh	467.566	941.813	222.214	1865.857	3497.450
35	Rajsamand	612.289	824.607	231.660	2542.494	4211.050
36	Salumbar	424.119	943.654	204.315	977.562	2549.650
37	Sawai Madhopur	513.437	774.765	261.638	3267.910	4817.750
38	Sikar	279.475	780.777	173.903	7617.445	8851.600
39	Sirohi	331.028	520.918	171.078	2566.526	3589.550
40	Tonk	544.773	851.275	333.449	3699.553	5429.050
41	Udaipur	1302.972	2429.161	504.273	4209.244	8445.650
	Total	20509.136	40784.173	9815.853	156661.338	227770.500